(7)

कार्यालय उप–जिलाधिकारी लोनी।

पत्र संख्या /एस0टी0–एस0डी0एम0(लोनी)/2018 दिनॉक

प्रभारी अधिकारी (भूलेख)
कलक्ट्रेट, गाजियाबाद।

विषय– दास यूनिवर्सल एकेडमी सचखण्ड नानक धाम, इन्द्रापुरी लोनी, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए विद्यालय के भू–अभिलेखों का सत्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 687/सात–डी0एल0आर0सी0/2018 दिनॉक 27 मार्च 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव मेरठ मण्डल मेरठ के संलग्नक पत्रॉक म0सं0/मा0शि0/ एनओसी/अनुभाग/12743–46/2017 दिनांक 20–03–2018 संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए **दास यूनिवर्सल एकेडमी सचखण्ड नानक धाम, इन्द्रापुरी लोनी, गाजियाबाद** को सी0बी0एस0ई0, दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए विद्यालय के भू–अभिलेखों को सत्यापन कराकर निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में तहसीलदार लोनी से जॉच करायी गयी। तहसीलदार लोनी द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक लोनी से जॉच कराकर अपनी आख्या दिनॉक 28–09–2018 प्रेषित की गयी है। तहसीलदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

1.	विद्यालय के पास कुल भूमि, उसकी माप वर्ग मीटर में	विद्यालय के पास ग्राम धरोटी खुर्द परगना व तहसील लोनी के खाता संख्या 775 में 30858 वर्ग मीटर भूमि है।
2.	भूमि विकास प्राधिकरण/विकास परिषद/यू0पी0एस0आई0डी0 सी0 से आंवटन द्वारा प्राप्त की गयी है तो आंवटन पत्र,कब्जा पत्र, पटटा अभिलेख के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया जायें।	भूमि आंवटन से प्राप्त नहीं है।
3.	भूमि नगर निकाय क्षेत्र में स्थित है तो उसका प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का स्वीकृत मानचित्र होने का उल्लेख किया जाये।	भूमि नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रान्तर्गत है।
4.	भूमि विकास प्राधिकरण के अधिसूचित/विकसित क्षेत्र में है तो भूमि किस उपयोग हेतु आरक्षित है एवं उसका खसरा नम्बर तथा खतोनी की नवीन सत्य प्रतिलिपि के साथ सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया जायें।	भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है।
5.	भूमि यदि 30 वर्ष के लिए लीज पर ली गयी है, तो वह किसके नाम लीज पर ली गयी है और पंजीकरण के आधार पर किसके स्वामित्व में है?	भूमि सचखण्ड नानक धाम इन्द्रापुरी धरोटी खुर्द, लोनी गाजियाबाद द्वारा सह सचिव श्री दास गुज्जर मल पुत्र श्री वेद प्रकाश द्वारा दास यूनिवर्सल एकेडमी पता इन्द्रापुरी धरोटी खुर्द लोनी गाजियाबाद द्वारा मैनेजर श्री दीपक मारवाहा को 30 वर्ष के लिए लीज पर ली गयी है, लीज डीड उप-निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के कार्यालय में बही संख्या 1 जिल्द संख्या 32624 पर क्रमॉक 19765 पर दिनॉक 21-11-2016 को रजीस्ट्रीकृत की गयीं है। लीज डीड की छायाप्रति संलग्न है।

क्रमशः–2पर

उप–जिलाधिकारी
लोनी

6.	भूमि विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर होने की दशा में भूमि का भू-उपयोग उत्तर प्रदेश के सब रीजनल प्लान व एन0सी0आर0 के रीजनल प्लान की गाईडलाईन के अनुसार है अथवा नही(सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की जायेगी)	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से आच्छादित है।
7.	भूमि यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो भूमि से सम्बन्धित खसरा नम्बरान का विवरण व सम्बन्धित खसरा नम्बरान की खतौनी की नकल के साथ-साथ स्वामित्व का स्पष्ट उल्लेख किया जायें।	भूमि नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रान्तर्गत है। ग्राम धरौटी खुर्द परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 775 खसरा नम्बर 393/3 रकबा 0.7590 है0, खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.0630 है0, खसरा नम्बर 394/2 रकबा 0.0510 है0, खसरा नम्बर 394/3 रकबा 0.1640 है0, खसरा नम्बर 394/4 रकबा 0.1010 है0, खसरा नम्बर 394/5 रकबा 0.1900 है0, खसरा नम्बर 394/6 रकबा 0.2150 है0, खसरा नम्बर 394मि0/7/2 रकबा 0.6790 है0, खसरा नम्बर 395/3 रकबा 0.7330 है0, खसरा नम्बर 395/4 रकबा 0.0510 है0, खसरा नम्बर 395/5 रकबा 0.6960 है0, खसरा नम्बर 396/4 रकबा 0.5060 है0 कुल नम्बरान 12 कुल रकबा 4.2080 है0 के 11/15 भाग रकबई 3.0858 है0 पर सचखण्ड नानक धाम डेरा संत बाबा दर्शन दास इन्द्रापुरी लोनी द्वारा सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह पुत्र हरबंश सिंह का नाम दर्ज है। उद्वरण खतौनी संलग्न है।
8.	विद्यालय की भूमि कई गाटों में होने की स्थिति में क्या गाटे आपस में सटे है।	ग्राम धरौटी खुर्द परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा नम्बर 393/3,खसरा नम्बर 394/1, खसरा नम्बर 394/2, खसरा नम्बर 394/3, खसरा नम्बर 394/4, खसरा नम्बर 394/5, खसरा नम्बर 394/6, खसरा नम्बर 394मि0/7/2, खसरा नम्बर 395/3 , खसरा नम्बर 395/4, खसरा नम्बर 395/5, खसरा नम्बर 396/4 आपस में मिले हुए है। शिजरे की छायाप्रति संलग्न है।
9.	विद्यालय का भवन नैशनल बिल्डिंग कोर्ड के अनुसार बने होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।	लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद का प्रमाण पत्र संख्या 115/सहा0अभि0/प्रमाण पत्र दिनॉक 11-12-2016 की छायाप्रति संलग्न है।
10.	विद्यालय में अग्निशमन व्यवस्था होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।	अग्निशमन विभाग का प्रमाण पत्र दिनॉक 8-6-2016 की छायाप्रति संलग्न है।
11.	वर्तमान भूमि/भवन पर किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर विधालय संचालित है या नही।	वर्तमान में सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से कक्षा 10 तक मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है ।
12.	विद्यालय का संचालन किस ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। नाम तथा पंजीकरण, नवीनीकरण की स्थिति का उल्लेख।	विद्यालय का संचालन द्वारा यूनिवर्सल एकेडमी, पता इन्द्रापुरी धरोटी खुर्द परगना व तहसील लोनी गाजियाबाद द्वारा मैनेजर दीपक मारवहा पुत्र श्री चन्द्र मोहन मारवाहा निवासी 244/ए, वार्ड नम्बर-16, शिवाजीनगर गुडगॉव, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। सोसायटी का पंजीकरण रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के कार्यालय में क्रम संख्या एस/18257 वर्ष 1987 पर दिनॉक 15 अक्टूबर 1987 को किया गया है।

अतः तहसीलदार लोनी द्वारा प्रेषित आख्या दिनॉक 28-09-2018 मूलरूप में संलग्न कर संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्नकः-उपरोक्तानुसार

01/10/18

उप-जिलाधिकारी,
लोनी।